(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 80/2021

दायर दिनांकः 30.09.2021

उनवान

नाथूलाल पि. भेरू जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

मोतीलाल पि. रामचन्दर जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादी — श्री पूरीलाल राठौर

प्रतिवादी — एकतरफा

निर्णय   दिनांक : 07.05.2025

हस्तगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नकल जमाबन्दी ग्राम धरोनिया परवार हल्का धरोनिया तहसील पिडावा सम्वत् 2074—77 के अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1721, 1722 व 863/1923 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4543 है. भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नं. 863/1923 की भूमि के पश्चिमी दिशा की करीब 1 बिस्वा भूमि जिससे अनुवग्न (सटवा) प्रतिवादी की भूमि की सीमाएं आती है के सम्बन्ध में ही विवाद है। यह कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि ख.नं. 863/1924 की सीमाओं से वादी की भूमि ख.नं. 863/1923 की ओर 01 बिस्वा करीबन अपनी भूमि के समानान्तर आगे बढ़कर वादी की भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने के उद्देश्य से दोनो के खसरा नम्बरान के मध्य स्थित पेडो को काट दिया है तथा सीमारेखा को हांक दिया है साथ ही वादी को धमकी दी है कि इस भूमि पर वह पक्की तामिर करेगा। यह कि वादपत्र के चरण कम 2 में वर्णित प्रतिवादी के आक्रमण व धमकी से वादी के काश्तकारी अधिकारो को अपरिमित क्षति होने की संभावना व्याप्त [illegible] है, इस हेतु वादी के काश्तकारी अधिकारी की रक्षा आदेश जारी कर [illegible] जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादी वादी के हक व अधिकारो में विहन कारित कर देगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वाद हेतुक दिनांक 23.09.2021 को उस वक्त उदित हुआ जब प्रतिवारी ने दोनों के मध्य की सीमा रेखा को होक दिया व उसमे स्थित पेड़ों को काट दिया। यह कि वाह माननीय व्यायालय की अधिकारिता में, श्रवणक्षेत्र में अवधि मध्य स्थित है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(अ) प्रतिवादी संख्या एवं वादी की भूमियों खसरा नं. 863/1924 एवं 863/1923 के मध्य स्थित सीमा रेखा से प्रतिवादी वादी की भूमि खसरा नं. 863/1923 की ओर सामानान्तर किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़े न उसकी भूमि में कोई विहन कारित करे इस बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह प्रतिवादी से दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादी के बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.10.2024 प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धरोनिया का खाता सं. 216 की जमाबंदी सं. 2074–77 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खसरा नक्शा दिनांक 30.09.2021 प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 पेश किये एवं साक्ष्यवादी में नाथूलाल पि. भेरू, परमानन्द पि. बालाराम के PW-1 To 2 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ग्राम धरोनिया की भूमि ख.नं. 1721, 1722 व 863/1923 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4543 है. का रिकार्डेड टीनेन्ट है जबकि प्रतिवादी लगवा आराजी ख. नं. 863/224 का खातेदार है। प्रतिवादी द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के वादी की भूमि ख.नं. 863/[illegible] 0–01 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर मेड़ पर खड़े पेड़ [illegible] को [illegible] दिया है जिससे वादी को अपने काश्तकारी अधिकारों से वंचित [illegible] पड़ा है और 0–01 बीघा भूमि की अपूरनीय क्षति उठानी पड़ी है। [illegible] द्वारा प्रतिवादी को जब

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मना किया गया तो वे लडाई झगडे पर आमदा हुए। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि – वे बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादी की आराजी ख.नं. 863/1923 की ख.नं. 863/1924 से लगवा 0–01 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त में दखल नहीं देवे और शेष पौधों को नुकसान नहीं पहूँचावे।

5. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं है।

6. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धरोनिया की जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है. भूमि का खातेदार टीनेन्ट है। वादी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की आराजी के लगवा पश्चिम दिशा में प्रतिवादी की आराजी ख.नं. 863/1924 स्थित है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादी की भूमि के पश्चिम दिशा की करीब 1 बिस्वा भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने उद्देश्य से प्रतिवादी द्वारा दोनो के खसरा नम्बरान के मध्य स्थित पेडो को काट दिया है तथा सीमा रेखा को हांक दिया है। वादी को धमकी भी दी है कि वह इस भूमि पर पक्की तामीर करेगा। साक्ष्य गवाह PW-2 परमानन्द पि. बालाराम द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनो की कृषि भूमि के मध्य पेड स्थित है जिसे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.09.2021 को काट दिया व करीब 1 बिस्वा भूमि को हांक कर अपनी कृषि भूमि में मिलाने का प्रयास किया एवं वादी को धमकी दी कि इस भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करूंगा। अतः साबित है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी की पश्चिम मेड के सहारे की करीब 1 बिस्वा भूमि पर खडे पेडो को काटकर भूमि को हांक दिया वादी की खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिसकी पश्चिम मेड के सहारे की 1 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा कर पेडो को काट कर हांक जोत कर मिला लिया है। अतः प्रतिवादी अतिक्रमी है। प्रतिवादी के जबरन कब्जा करने और पक्का निर्माण करने के प्रयास से वादी को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है। प्रतिवादी को वादी के खाते व कब्जे की आराजी से होकर जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी। प्रतिवादी के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादी अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाव नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम धरोनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है. आराजी की पश्चिम मेड के सहारे 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के संबंध में वादी का वाद धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम धरोनिया की वादी की आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है. की पश्चिम मेड के सहारे न तो जबरन कब्जा करें और न ही किसी प्रकार का पक्का निर्माण करें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/5/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(1)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 80/2021 दायर दिनांक: 30.09.2021

उनवान

नाथूलाल पि. भेरू जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

मोतीलाल पि. रामचन्दर जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —
अभिभाषक वादी — श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादी — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम धरोनिया की वादी की आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है. की पश्चिम मेड के सहारे न तो जबरन कब्जा करें और न ही किसी प्रकार का पक्का निर्माण करें।

07/5/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैंरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालेह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टा	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम		मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाह	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner